निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), जयपुर

प्रकरण संख्या **53/2025** (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री सीताराम, निवासी 136-137/4, गोवर्धनपुरी, गलता गेट, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर दक्षिण, कलक्ट्रेट, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय **दिनांक 09.09.2025**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 30.05.2025 को राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन मय शुल्क प्रेषित कर कलक्ट्रेट नियंत्रण कक्ष के मोबाईल नं. पर छः माह की अवधि ग्राम राहोरी, जमवारामगढ़ मेर रोड अजन्ता फार्म/शराब ठेके के सामने अवैध खनन की गई शिकायतों पर की गई कार्यवाही से संबंधित व अन्य सूचनाएं चाही गई है। नियत समयावधि में चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर दक्षिण, कलक्ट्रेट, जयपुर को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त है। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी उपस्थित है।
3. अपीलार्थी को सुना गया। राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी क्रमांक 2689 दिनांक 12.08.2025 के अनुसार नियंत्रण कक्ष, कलक्ट्रेट की गोपनीयता के मध्यनजर उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। प्रत्यर्थी से प्राप्त अपीलोत्तर से यह परिलक्षित नहीं होता है कि प्रत्यर्थी द्वारा पारित विनिश्चय से अपीलार्थी को सूचित किया गया है। अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम पारित विनिश्चय से अपीलार्थी को सूचित किया जाना चाहिए, अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।
5. प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि पारित विनिश्चय से अपीलार्थी को सूचित किया जाना एवं सूचना का संबंध आपके कार्यालय से नहीं होने पर संबंधित को अंतरित करना सुनिश्चित करें।
6. निर्णय की प्रति हरब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
7. निर्णय आज दिनांक **09.09.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला कलक्टर

जयपुर